

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4101/2026**

चंदा आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,

..... विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	भगवती प्रसाद निगम, अनुराग शुक्ला
विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. निगम और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम, श्री भानु प्रताप सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 101/2026, अंतर्गत धारा 105, 115(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपरोक्त मामला 16.03.2026 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक और उसका दामाद नशे की हालत में थे और उन्होंने 15.03.2026 को शाम लगभग 5.30 बजे शिकायतकर्ता के पति को लात, घूंसे और डंडों से पीटा, जिससे उन्हें आंतरिक चोटें आईं और उनकी हालत गंभीर हो गई। पीड़ित की मृत्यु 16.03.2026 को हुई और शवविच्छेदन आख्या में सिर के पिछले हिस्से में पश्चकपाल क्षेत्र में 12 सेमी x 6 सेमी आकार के एक घाव का उल्लेख है। घाव के नीचे नील के निशान मौजूद थे। मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा बताया गया है।

4. जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में कहा गया है कि आवेदक 70 वर्ष का व्यक्ति है, वह निर्दोष है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि मृतक ने स्वयं शराब का सेवन किया था और उसके बाद वह राहगीरों को गाली दे रहा था। किसी अज्ञात राहगीर ने उस पर हमला किया जिससे उसे सिर में चोट आई।

5. एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां संलग्न हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि घटना के समय उसके पति के साथ शिकायतकर्ता का बेटा भी था। आरोपियों ने उसके पति को पीटना शुरू कर दिया और उसका बेटा डरकर घर भाग गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता और अन्य लोग पीड़ित को घर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ले आए। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें अगले दिन थाना ले जाया गया और उसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहां 16.03.2026 की रात को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

6. दो कथित चश्मदीनों ने प्राथमिकी के विवरण का समर्थन किया है।

7. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है और उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ आरोप जांच के दौरान सिद्ध हो चुके हैं और 30.04.2026 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

8. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो व्यक्तियों द्वारा लात, घूंसे और लाठियों से पिटाई के आरोप प्रथम दृष्टया शवविच्छेदन आख्या से समर्थित नहीं हैं, जिसमें सिर के पिछले हिस्से पर एक ही चोट का उल्लेख है; कि उक्त एक ही चोट केवल पीछे की ओर गिरने से भी हो सकती है; कि मृतक का बेटा घटना के समय उसके साथ था और अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है; आवेदक 70 वर्ष का व्यक्ति है जिसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 20.03.2026 से जेल में बंद है तथा जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और मामले की गुण-दोष को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त तथ्य आवेदक को उपरोक्त अपराध में जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हैं।

9. तदनुसार, यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

10. आवेदक चंदा को उपरोक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति से छूट न दी जाए।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

18 जून, 2026

राम।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।